

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

आदेश

संचिका संख्या-17/वि०-01-167/2024-

पटना, दिनांक- / / 2025

डा० पम्मी रॉय, तत्कालीन सीनियर रेजिडेंट-BHS सम्प्रति सह-प्राध्यापक (नियमित) एवं विभागाध्यक्ष, नेत्र रोग विभाग, जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय, भागलपुर को दिनांक-19.02.2018 से 27.02.2018 तक की अवधि में की गयी विदेश (दुबई) यात्रा के लिए घटनोत्तर स्वीकृति/अनुमति इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि भविष्य में बिना विभागीय अनुमति के विदेश यात्रा के लिए प्रस्थान नहीं करेंगी।

2. उक्त में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-

(रेणु कुमारी)

विशेष कार्य पदाधिकारी।

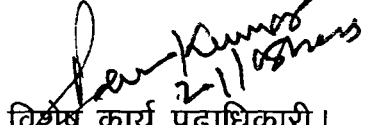
ज्ञापांक-17/वि०-01-167/2024- 958(17) /पटना, दिनांक- 21/08/2025

प्रतिलिपि:- महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- प्राचार्य, जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय, भागलपुर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- डा० पम्मी रॉय, तत्कालीन सीनियर रेजिडेंट-BHS सम्प्रति सह-प्राध्यापक (नियमित) एवं विभागाध्यक्ष, नेत्र रोग विभाग, जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय, भागलपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- आई०टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर प्रकाशन हेतु सूचनार्थ प्रेषित।


विशेष कार्य पदाधिकारी।